11.12.2025

नवीकृत डिजिटल केसीसी नवीनीकरण यात्रा का शुभारंभ

हमें अपने प्रतिष्ठित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ग्राहकों को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बैंक द्वारा केसीसी डिजिटल नवीनीकरण सुविधा का शुभारंभ किया गया है एवं इसे और अधिक सुविधाजनक तथा कार्यक्षम बनाकर बेहतर बनाया गया है।

ग्राहक इंडओएसिस/वेबसाइट/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नवीनीकरण हेतु मौजूदा सीमा पर नवीनीकरण करने का चयन कर सकते हैं या अधिकतम ₹2.00 लाख के अध्यधीन 10%, 20% या 30% की वार्षिक वृद्धि के विकल्प का चयन कर सकते है।

अतिरिक्त विशेषताएं निम्नवत हैं:

ए) सीमा में वृद्धि - नवीनीकरण के वर्ष के आधार पर 10%/20%/30%

नवीकृत डिजिटल नवीनीकरण प्रक्रिया में, शाखाओं को मूल स्वीकृति तिथि से नवीनीकरण के वर्ष के अनुसार पात्रता के अध्यधीन संस्वीकृत सीमा को **10%, 20% या 30%** तक बढ़ाने का विकल्प प्रदान किया गया है। यह संरचित प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि वृद्धि, नवीनीकरण चक्र के अनुरूप समुचित रूप से लागू की जाती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रक्रिया **लागू वित्तपोषण की प्रमात्रा** को भी विधिमान्य करती है और तदनुसार पात्र सीमा का परिकलन किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऋणसीमा की वृद्धि निर्धारित मानदंडों, समग्र सीमा और नियामक दिशानिर्देशों के भीतर बनी रहे।

बी) भूमि रिकॉर्ड सेवा (एलआरएस) विधिमान्यता सुविधा

आरबीआईएच के माध्यम से सुविधाजनक भूमि रिकॉर्ड सेवा (एलआरएस) विधिमान्यता सुविधा को संबंधित राजस्व रिकॉर्ड के साथ सीधे भूमि रिकॉर्ड की विधिमान्यता को सक्षम करने के लिए डिजिटल नवीनीकरण यात्रा में एकीकृत किया गया है। वर्तमान में, यह सुविधा केवल उन राज्यों में उपलब्ध है, जहां डिजिटल भूमि अभिलेख परिचालनगत है, अर्थात् **तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,**

छत्तीसगढ़ और ओडिशा, और यह *डिजी केसीसी नई यात्रा* के तहत पहले से खोले गए केसीसी खातों के लिए लागू है। अन्य राज्यों में शाखाओं को नवीनीकरण के समय भूमि के स्वामित्व का पता लगाना होगा और पुष्टि करनी होगी।

सी) मेकर और चेकर सुविधा

प्रक्रिया नियंत्रण को सुदृढ़ करने और सटीकता सुनिश्चित करने हेतु मेकर और चेकर सुविधा की शुरुआत की गई है। इस सुविधा के तहत, *मेकर* ग्राहक के नवीनीकरण अनुरोध पर कार्रवाई करता है और अपेक्षित विवरण दर्ज करता है, जबकि *चेकर* स्वतंत्र रूप से आवेदन को सत्यापित और अधिकृत / अस्वीकृत करता है।

केसीसी डिजिटल नवीनीकरण के लिए पात्रता मानदंड:

1. केसीसी मोड्यूल के तहत उत्पाद कोड 1995-0155 और 1995-0164 के अंतर्गत एसएमए सहित मानक केसीसी
2. ई-केवाईसी सत्यापित और मान्य मोबाइल नंबर सहित सीएपीसी अनुपालित खाते।
3. लिमिट निर्धारण की तिथि से 9 महीने और खाता खोलने की तिथि से 4 साल 6 महीने के भीतर केसीसी खाते नवीनीकरण हेतु पात्र हैं।
4. किसी भी ग्राहक (सीआईएफ) के लिए सभी केसीसी की संयुक्त सीमा रु. 2.00 लाख तक होगी।
5. खाते को डिजिटल रूप से नवीनीकृत करने के लिए नीचे दी गई किसी भी एक शर्त को पूरा करना होगा।
    - क्या मौजूदा केसीसी खाता क्रेडिट बैलेंस में है
    - क्या लिंक्ड बचत खाते में 'बकाया राशि + अर्जित ब्याज' को कवर करने के लिए पर्याप्त जमा शेष है

6. शाखा उधारकर्ता से नवीनीकरण फॉर्म I और II के साथ D11 प्राप्त करेगी।